

**न्यायालय:- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला-अशोकनगर**  
**(पीठासीन अधिकारी:-जफर इकबाल)**

**फाइलिंग नंबर 235103004232016**

**दांडिक प्रकरण क्र.-261/16**

**संस्थापित दिनांक-09.08.16**

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर। <span style="float: right;">.....अभियोजन</span>	
<b>विरुद्ध</b>	
01-राजेश पुत्र बृजलाल अहिरवार उम्र 24 साल निवासी ग्राम फतेहाबाद थाना चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0। <span style="float: right;">.....आरोपी</span>	
राज्य द्वारा	:- श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.।
आरोपी द्वारा	:- श्री चौरसिया अधिवक्ता।

**:- निर्णय :-**

**(आज दिनांक 23.02.2017 को घोषित)**

01- आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपी के विरुद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 457, 380 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

02- प्रकरण में आरोपी की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।

03- अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले के फरियादी जगदीश पाल ने दिनांक 12.07.16 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि घटना दिनांक को कोई अज्ञात चोर उसके घर में घुसकर पेटी में रखे चांदी के जेवर, दो चांदी के बताने, दो संतान सातों की चूड़ी, दो पैर में पहनने वाली चांदी के पटटे, एक गुच्छा, एक चांदी की जंजीर कोई अज्ञात चोर ताला तोड़कर चुरा कर ले गया। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 370/16 के अंतर्गत भादवि की धारा 457, 380 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04- प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 457, 380 के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपी का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण किया गया। आरोपी ने बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

05- प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :-

1. क्या आरोपी ने दिनांक 12.07.16 को समय 23.00 बजे फरियादी के घर फतेहाबाद, चंदेरी पर फरियादी जगदीश पाल के घर में सूर्यास्त के पश्चात् एवं सूर्योदय के पूर्व प्रवेश कर रात्रि प्रछन्न गृह अतिचार कारित किया ?
2. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर चांदी के जेवर, दो चांदी की बताने, दो संतान सातों की चूड़ी, दो पैर में पहनने वाली चांदी के पटटे, एक गुच्छा, एक चांदी की जंजीर बगैर उसकी सहमति के ले जाकर चोरी किया ?

**--:: सकारण निष्कर्ष ::--**

06— प्रकरण में अभिलेख पर आई हुई साक्ष्य आपस में संशक्त एवं अंतर्वलित है। अतः ऐसी स्थिति में साक्ष्य की पुनरावृत्ति के दोषनिवारणार्थ विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 एवं 02 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 जगदीश पाल, अ.सा. 02 शांतिबाई, अ.सा. 03 मनोहर सिंह पाल, अ.सा. 04 हरिसिंह तोमर, अ.सा. 05 प्रेमनारायण कोली की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

07— अभियोजन साक्षी 01 जगदीश पाल जो कि मामले का फरियादी भी है, ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपी को जानता है। उक्त साक्षी के अनुसार घटना दिनांक को वह काम पर गया था तथा उसके घर पर कोई नहीं था। तब उसके घर पर चोरी हो गई थी। उक्त साक्षी के अनुसार चोरी में साढ़े 11 हजार रुपये, मिट्टी का तेल, चांदी के बताने, गुच्छा, सोने की लल्लरी आदि चोरी हो गए थे। उक्त साक्षी के अनुसार घटना की रिपोर्ट प्रपी 01 उसने लेखबद्ध कराई थी तथा उक्त साक्षी ने पुलिस द्वारा घटनास्थल का नक्शामौका उसके समक्ष बनाया जाना बताया है। उक्त साक्षी के अनुसार आरोपी ने उसे चोरी की गई वस्तुएं दी थीं जो उसने पुलिस को दी थीं। अ.सा. मनोहर सिंह पाल ने भी अपने कथन में बताया है कि फरियादी के घर चोरी हुई थी तथा आरोपी के पिता ने फरियादी के घर जाकर बोला था कि सामान उसके घर पर है। उक्त साक्षी के अनुसार आरोपी ने उसके घर पर चोरी का सामान उन्हें दिया था। अ.सा. 04 हरिसिंह तोमर जो कि मामले का विवेचक है, ने अपने कथन में बताया है कि उसके द्वारा घटनास्थल का नक्शामौका प्रपी 02 फरियादी की निशादेही पर बनाया गया था। उक्त साक्षी के अनुसार उसके द्वारा प्रपी 04 का मेमोरेण्डम तैयार किया गया था तथा आरोपी से प्रपी 05 के अनुसार वस्तुएं जप्त की गई थीं।

08— अ.सा. 05 द्वारा प्रकरण में शिनाख्तगी की कार्यवाही की गई है। उक्त साक्षी के अनुसार उसके द्वारा घटना के संबंध में चोरी गई चांदी की वस्तुओं की शिनाख्तगी की कार्यवाही प्रपी 06 के अनुसार की गई थी। उक्त साक्षी ने अपने कथन में बताया है कि पुलिस वाले फरियादी जगदीश एवं साक्षी मनोहर के हस्ताक्षर कराकर लाए थे और तब उसने हस्ताक्षर किए थे। अ.सा. 02 के अनुसार उक्त घटना दिनांक को उसके घर पर चोरी हुई थी। उक्त साक्षी के अनुसार किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसके घर पर चोरी की थी। उक्त साक्षी के अनुसार उसके पति ने उसे नहीं बताया था कि आरोपी ने उसके यहां चोरी की थी।

09— प्रकरण में अभिलेख पर आई हुई उपरोक्त साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा फरियादी के घर पर चोरी कारित की गई थी। उक्त चोरी रात्रि में कारित

की गई थी। अ.सा. 01 की साक्ष्य से प्रपी 01 की रिपोर्ट एवं प्रपी 02 का नक्शामौका प्रमाणित हो रहे हैं। फरियादी ने अपने कथनों में बताया है कि आरोपी द्वारा चोरी गई वस्तुएं उसे दी गई थीं जो उसने पुलिस को दी थीं। उक्त तथ्य का अनुसमर्थन अ.सा. 03 मनोहर सिंह ने भी अपने कथनों से किया है। अभियोजन साक्षी 02 जो कि फरियादी की पत्नी है ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपी को नहीं जानती और न ही पहचानती है। उक्त साक्षी के अनुसार उसके पति ने यह नहीं बताया था कि आरोपी राजेश अहिरवार ने चोरी की थी। प्रकरण में उल्लेखनीय है कि प्रपी 04 का मेमोरेंडम का साक्षी फरियादी स्वयं है। इस प्रकार मेमोरेंडम का साक्षी स्वतंत्र साक्षी नहीं है, जबकि यह आवश्यक था कि मेमोरेंडम का साक्षी स्वतंत्र साक्षी हो। उल्लेखनीय है कि मेमोरेंडम प्रपी 04 के दोनों साक्षीगण ने अपने कथनों में बताया है कि उनके द्वारा उक्त दस्तावेज पर थाने पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस प्रकार उपरोक्त साक्षीगण मामले के विवेचक अभियोजन साक्षी 04 की साक्ष्य के विपरीत कथन कर रहे हैं। अभियोजन साक्षी 04 के अनुसार उसके द्वारा प्रपी 04 का मेमोरेंडम थाने पर नहीं बनाया गया था। उक्त साक्ष्य से यह प्रकट हो रहा है कि मामले का विवेचक एवं फरियादी के कथनों में प्रमुख विरोधाभास है।

10— फरियादी का कहना है कि आरोपी द्वारा चोरी की गई संपत्ति उसे दी गई थी, जबकि विवेचक अभियोजन साक्षी 04 के अनुसार चोरी की संपत्ति उसके द्वारा स्वयं आरोपी से जप्त की गई थी। इसी प्रकार अभियोजन साक्षी 01 एवं अभियोजन साक्षी 03 के अनुसार जप्ती की कार्यवाही भी थाने पर की गई थी, जबकि अभियोजन साक्षी 04 के अनुसार उसने जप्ती की कार्यवाही आरोपी के घर से की गई थी। इस प्रकार प्रकरण में जप्ती पंचनामे के संबंध में भी प्रमुख विरोधाभास है तथा जप्ती पंचनामे के साक्षी विवेचक की साक्ष्य के पूर्णतः विपरीत कथन कर रहे हैं। प्रकरण में घटना का कोई चक्षुदर्शी साक्षी भी नहीं है तथा ऐसी स्थिति में यह आवश्यक था कि अभियोजन द्वारा जो साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है उसमें विरोधाभास एवं भिन्नता न हो। उल्लेखनीय है कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह प्रकट हो रहा है कि अभियोजन साक्षीगण की साक्ष्य में न केवल भिन्नता है, बल्कि कई प्रमुख विरोधाभास भी हैं। प्रकरण में न तो धारा 27 साक्ष्य विधान के मेमोरेंडम प्रपी 04 को अभियोजन द्वारा प्रमाणित किया गया है और न ही जप्ती पंचनामा प्रपी 05 की कार्यवाही को प्रमाणित किया गया है। इस प्रकार मात्र इस आधार पर कि आरोपी द्वारा फरियादी को चोरी की संपत्ति प्रदान की गई थी, यह निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता कि आरोपी द्वारा प्रकरण में उक्त अपराध कारित किया गया है। ऐसा इसलिए भी है, क्योंकि अभियोजन द्वारा जो कार्यवाही की गई है वह न केवल विरोधाभासी है, बल्कि संदेहास्पद भी है। विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि अभियोजन को अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करना चाहिए तथा संदेह की स्थिति में संदेह का लाभ आरोपी को दिया जाना चाहिए।

11— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए भादवि की धारा 457, 380 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

12— आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

13— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति मुताबिक जप्ती पत्रक अनुसार पूर्व से सुपुर्दगी पर है, अतः उक्त सुपुर्दनामा निरस्त समझा जावे।

14— आरोपी अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द. प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत  
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(जफर इकबाल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)